स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 109
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।
सहायक श्रमायुक्त पश्चिम चम्पारण (बेतिया) ।
श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद ।

पटना, दिनांक :- 28-11-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिको हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित **सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹** 1500/- राशन एवं **₹** 300/- वस्त्र अर्थात कुल **₹** 1800/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी **10** बाल श्रमिकों को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन **कुल ₹ 18,000 (₹ अठारह हजार) मात्र** वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दी जाय ।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
28/11/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 109 पटना, दिनांक 28-11-16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/11/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 109 पटना, दिनांक 28-11-16

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /*<u>संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी</u>/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-307, 309, 310 एवं 342 (श्रम पक्ष) क्रमश: दि.-07.10.16, एवं 23.11.16 के आलोक में)/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

28/11/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	बच्चे की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/-वस्त्र हेतु प्रति बाल श्रमिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, पटना	02	3600	श्रम अधीक्षक, पटना-01 के पत्रांक-1901 दि.-04.10.2016 के आलोक में हैदराबाद से विमुक्त 02 बाल श्रमिकों के लिए ।
2	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	05	9000	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद के पत्रांक- 991 दि.-15.11.2016 के आलोक में 1 अप्रैल से 10 जुलाई 16 तक विमुक्त 03 बाल श्रमिकों एवं पत्रांक- 793 दि.- 21.09.2016 के आलोक में भरतपुर राजस्थान से विमुक्त 02 बाल श्रमिकों के लिए ।
3	सहायक श्रमायुक्त, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	03	5400	श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक-400 दि.-03.10.2016 के आलोक में राज्य के अंदर से विमुक्त 03 बाल श्रमिकों के लिए ।
कुल योग		**10**	**18000**	

कुल आवंटित राशि ₹ 18,000 (₹ अठारह हजार) मात्र ।

28/11/16

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।